Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in; Email: jmsjournals.in@gmail.com
Vol.6, Issue-III, January 2021

सांप्रदायिक राजनीति और देश का विभाजन

(Communal politics and the partition of the country)

Rakesh Kumar
Ph.D. Scholar (History),
Jiwaji University Gwalior, Madhya Pradesh, India
Email: rakeshkuk47@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7890-6422
DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v6n3.08

संक्षिप्त रूप

आजादी के साथ ही भारत का विभाजन भी हो गया। इस विभाजन के लिए अंग्रेजों की "फूट डालों राज करों" की निति उतरदायी थी। अेग्रेजों ने हिन्दु तथा मुस्लमानों में अनेक अधिनियमों के द्वारा फुट डालने का कार्य किया। जिसके कारण कि हिन्दु तथा मुस्लमानों में साम्प्रदायिकता का आरम्भ हुआ। मुस्लिम लीग तथा जिन्ना इस साम्प्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य किया। इसके अलावा हिन्दु महासभा नें भी साम्प्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य किया, जिसके कारण साम्प्रदायिक हिंसा भडकी तथा हजारों लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी। देश मे साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने मे कांग्रेस का भी योगदान रहा। अनेक मोको पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अहमियत नही दी या बहुत ज्यादा अहमियत दी जिसके कारण उसकी महत्वकांक्षा बडती गई, जो कि आगे चलकर देश के विभाजन का कारण बनी।

शब्द कुंजी: भारत का विभाजन, साम्प्रदायिकता, देश विभाजन, पुर्नउत्थानवादी आन्दोलन इत्यादि।

15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजो की दास्ता से आजाद हुआ लेकिन साथ ही भारत का विभाजन भी हो गया जो की भारतीय इतिहास की सबसे दुःखदायी घटनाओं में से एक है। भारत के विभाजन के लिए सांप्रदायिक राजनीति, कांग्रेस तथा अंग्रेजों की नीतियॉ उत्तरदायी थी। 19वीं शताब्दी में पुर्नउत्थानवादी आन्दोलन चलाए गए जिससे कि हिन्दु समाज एवं मुस्लिम समाज में परस्पर संदेह तथाभय तीखे हारे गए। हिन्दूओं और मुस्लमानों ने कई ऐसे राजनीतिक संगठन बनाए तथा आन्दोलन चलाए जिनसे हिन्दू तथा मुस्लमानों में आपसी मनमुटाव हुआ। कलकत्ता में राधाकांत की देव सभा स्वामी दयानन्द का आर्य समाज तथा उसके द्वारा उन हिन्दूओं को फिर से हिन्दू धर्म अपनाने को कहना जो मुस्लमान बन गए थे। इसके अलावा दिल्ली के शाह वलीउल्ला तथा देवबन्द में उसके शिष्यों द्वारा स्थापित स्कूल, सर सैयद अहमद खॉ के आन्दोलनों ने मुस्लमानों में धार्मिक जोश जगाया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी भारत इतिहास को साम्प्रदायिक रंग दिया। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिन्दू काल, मुस्लिम काल तथा ब्रिटिश काल में बॉटकर साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। आगे चलकर भारतीय इतिहासकारों ने भी इनका अनुसरण किया।

सबसे पहले सर सैयद अहमद खॉ सांप्रदायिक राजनीति का आरम्भ किया प्रारम्भ में वे एक धर्म निर्पेक्ष आदमी थे, लेकिन 1872 में संयुक्त प्रान्त में व जिलों में उर्दू के स्थान पर हिन्दी को अदालती भाषा बनाया गया जिसके कारण वे साम्प्रदायिक हो गया। सर सैयद अहमद खॉ ने मुस्लमानों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए कहा।[1] सर सैयद अहमद खॉ ने कांग्रेस के विरूद्ध अभियान चलाया तथा मुस्लमानों को कांग्रेस के खतरों के प्रति चेताया। इससे

मुस्लमान अपने आप को राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग करने लगे तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अंग्रेज सरकार का सहयोग करने लगे।

साम्प्रदायिक राजनीति के इतिहास में तथा भारत के विभाजन में पहला पड़ाव मुस्लिम लीग की स्थापना को माना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसम्बर 1906 को ढांका के नवाब आगा खॉ ने की थी। अब मुस्लिम लीग के मंच से कांग्रेस का विरोध किया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने भी मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया।

1909 में भारत में मार्ले मिन्टो सुधार लागु किए गए। इसमें पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मुस्लमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। जिस कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया।[2] यह विधेयक इसलिए पास किया गया था ताकि मुस्लमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग करके उसे कमजोर किया जा सके यह अधिनियम अंग्रेजों की 'फूट डालों राज करों' की नीति का उदाहरण था।[3]

हिन्दू महासभा ने भी साम्प्रदायिक को बढ़ाने का कार्य किया। अप्रैल 1928 को जबलपुर में एक अधिवेशन बुलाया गया। साम्प्रदायवादियों ने पंजाब तथा बंगाल में बहुसंख्यकों के लिए सिटें आरक्षित किए जाने का विरोध किया।[4] 1927 में अंग्रेजों द्वारा एक सैविधानिक आयोग की नियुक्ति की गई जिसका भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। जिस कारण सरकार ने भारतीयों के सामने संविधान बनाने की चुनौति रखी। इसके लिए 22 फरवरी 1928 को सर्वदल सम्मेलन का आयोजन किया गया। डॉ. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की तथा मोती लाल नेहरू ने अपनी रिर्पोट पेश की। मुहम्मद अली जिन्ना ने इसमें संशोधन की मॉग की। उसने केन्द्रीय विधान सभा में मुस्लमानों के लिए एक तिहाई स्थानों की मॉग की।[5]

सर तेज बहादुर सप्रु ने जिन्ना के प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन एम.आर. जयकर ने हिन्दू महासभा के प्रतिनिधी के रूप में इसका विरोध किया। जिस कारण जिन्ना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।[6] इससे मुस्लिम लीग ने नेहरू रिर्पोट को अस्वीकार कर दिया तथा कांग्रेस का किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का निर्णय लिया गया।[7] लेकिन फिर भी इस रिर्पोट को पास कर दिया गया। जिससे की मुस्लिम लीग के नेताओं में कटुता आ गई। इन नेताओं में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। जिन्ना ने उस समय कहा था कि इससे कांग्रेस के रास्ते अलग–अलग हो गये है, हमारे और कांग्रेस के बीच अब ऐसी खाई हो गई है कि जो कभी पाटी नहीं जा सकती।[8]

मुस्लमानों की नाराजगी सविनय अवज्ञा आन्दोलन में दिखाई दी क्योंकि मुस्लमानों ने इसमें बहुत कम भाग लिया। अगस्त 1932 में अंग्रेजों ने साम्प्रदायिक घोषणा पत्र के रूप में अपनी 'फूट डालो राज करो' की नीति के तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंण्डलों में कुछ सिटें आरक्षीत की गई, जिनके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मण्डलों से होना था। इसमें मुस्लमान मुस्लमान को तथा सिख सिख को ही वोट दे सकता था।

इस साम्प्रदायिक घोषणा पत्र के पिछे अंग्रेजों का विश्वास था कि भारत एक देश नहीं है, बल्कि यह कई जाति एवं धार्मिक और सांस्कृतिक गुटों को तथा बिरादरी तथा उनके अपने हितों का समुह है। यह अंग्रेजों की यह सोचकर बनाई गई योजना थी कि केन्द्र और प्रांतों में राजनीतिक दलों को राजनीतिक या सामाजिक आधार पर नहीं बल्कि साम्प्रदायिक और धार्मिक आधार पर तैयार किया जाएगा।[9]

कांग्रेस ने इसका विरोध किया क्योंकि उसका मानना था कि इससे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। 4 अगस्त 1935 को भारतीय कौंसिल एक्ट लागु किया गया इसमें भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की न केवल ज्यों का त्यों रखा गया बल्कि बढ़ा दिया गया। अल्प संख्यक समुदायों को प्रांतों में अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन पंजाब और बंगाल में अल्पसंख्यक हिन्दूओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया।[10]

जनवरी 1937 के चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। उसने आठ ब्रिटिश प्रान्तों में अपनी सरकार बनाई, लेकिन मुस्लिम प्रांतों में कांग्रेस को कम समर्थन मिला। इन चुनावों में मुस्लिम लीग की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। कांग्रेस को 1161 में से 716 सिटें मिली। इसके बाद लीग को अपना भविष्य खतरे में नजर आया और जिन्ना ने लीग के प्रतिनिधि के रूप में पाकिस्तान की मॉग आरम्भ कर दी। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया था। उसने अलग से मुस्लिम राज्य की योजना रखी जो आगे चलकर पक्के और पूरे पाकिस्तान के रूप में बदल गई।[11]

1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस और लीग में मतभेद खुलकर सामने आ गए। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। मोहमद इकबाल ने जिन्ना से कहा था कि ''मेरा विश्वास है कि जो संगठन मुस्लमानों की स्थिति को सुधारने का दावा नहीं कर सकता, वह मुस्लिम जनता को अपनी और आकर्षित नहीं कर सकता । उन्होंने सलाह दी कि मुस्लिम समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक है कि देश का विभाजन कर दिया जाए और ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जहॉ मुस्लमानों का प्रतिनिधित्व हो।[12]

साम्प्रदायिकता के लिहाज से मुस्लिम लीग की जोड़ी दार हिन्दू महासभा थी। यह आर्य समाज, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर हिन्दू साम्प्रदायिकता का प्रचार करता थी। यह साम्प्रदायिक अल्प संख्यकों में आंतक पैदा करने के लिए काफी था। इसी आतंक का ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने तथा मुस्लिम लीग के नेताओं ने विभाजन का नारा बुलंद करने में पूरा इस्तेमाल किया।[13]

दिसम्बर 1938 में पटना में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने कांग्रेस के विरूद्ध हिंसात्मक का अनुमोदन किया तथा इसे सर्व सम्मति से पास कर दिया गया। इसके बाद भारत में हिंसात्मक दौर आरम्भ हुआ। 1939 में कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र देने के बाद लीग ने मुक्ति दिवस मनाया इससे कांग्रेस और लीग की दूरियॉ और बढ़ गई।[14] 24 मार्च 1940 को लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान विषयक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें अंग्रेजों द्वारा भी प्रोत्साहन दिया गया।[15]

लीग ने मुस्लिम बहुत क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की मॉग रखी। अप्रैल 1941 के लीग के अलीगढ़ अधिवेशन में जिन्ना ने कहा ''पाकिस्तान न केवल लिया जा सकता है बल्कि अगर आप इस देश में इस्लाम को पूरी तरह से खत्म होने से रोकता चाहते है तो इसका एकमात्र उपाय पाकिस्तान की स्थापना हो सकता है।[16] भारत विभाजन का प्रस्ताव इस आधार पर था कि हिन्दू और मुस्लमान दो पृथक राष्ट्र हैं। मुहम्द अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेश्न में कहा था कि 'किसी भी परिभाषा के अनुसार मुस्लान एक राष्ट्र हैं अतः उनका अपना एक निवास स्थान, अपना प्रदेश तथा अपना राज्य होना चाहिए।' उनका मानना था कि हिन्दू और मुस्लमान केवल एक धर्म न होकर दो पृथक और सपष्ट समाजिक व्यवस्थाएँ हैं। ये दोनो (हिन्दू और मुस्लमान) कभी भी एक राष्ट्र के रुप में एक साथ नही रह सकते। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए अनेक कष्टों का कारण बनेगा।[17]

पाकिस्तान की मांग के पीछे का एक कारण यह भी था कि कुछ मुस्लमान आक्रमणकारी के रुप में भारत आऐ थे। उन्होने भारत में हजारों मंदिर नष्ट कर डाले, मूर्तियों को तोड़ दिया, मंदिरो को मस्जिदों में परिवर्तित किया तथा उनकी सामग्री से अन्य मस्जिदों का निर्माण किया। इन आक्रमणकारियों द्वारा हिन्दू धर्म के लोगों को तलवार के दम पर मुस्लमान बनाया तथा जो इसके लिए तैयार नही हुए उन्हे मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के कारण मुस्लमानों का यह मानना था कि हिन्दू न तो कभी अत्याचारियों को भूले है और न ही कभी भूल सकेगें। यह बात सपष्ट है कि इन दोनो सम्प्रदायों में पुरानी श़त्रुता अब भी कायम हैं। इसलिए इन दोनो सम्प्रदायों को अलग–अलग राष्ट्रों में विभाजित किया जाना चाहिए।[18]

1942 में कांग्रेस ने भारत छोडो आन्दोलन आरभ किया, लेकिन जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने अंग्रेजो का समर्थन किया। जिसके कारण अंग्रेजो का झुकाव मुस्लिम लीग की ओर हुआ तथा पाकिस्तान की मांग को बल मिलाा। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस को इस मिशन से आपतिया थी (1) स्थानिय विकल्प का प्रावधान जिसमें पाकिस्तान की मांग अन्तर्निहित थी। (2) भारतीय नरेशों द्वारा राज्य के प्रतिनिधियों का चयन। इसी कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्रिप्स मिशन ने भारत से जाने से पहले साम्प्रदायिकता को और भी गहरा कर दिया।[19] क्रिप्स मिशन ने आकाशवाणी से यह कहकर अल्पसंख्यकों को गुमराह किया कि कांग्रेस अल्पतंत्र का शासन स्थापित करना चाहती है। भारत सचिव एमरी ने नीजी तौर पर 2 मई 1942 को यह स्वीकार किया था कि यह ''पाकिस्तान की सम्भावना की पहली स्वीकृति है।[20]

इसी बीच गॉधी जी ने जुलाई 1944 को जिन्ना से मिलने को प्रस्ताव रखा। जिन्ना ने 6 प्रांतों पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, पश्चिमोतर सिमान्तप्रांत, बंगाल और असम को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की मांग दुहराई।[21] सितम्बर 1944 को जिन्ना गांधी वार्ता हुई। गांधी जी ने जिन्ना की बात मान ली लेकिन कुछ शर्ते रखी। जिन क्षेत्रों में मुस्लमानों का बहुमत है उनको पाकिस्तान में मिलाया जाएगा तथा जहॉ पर ऐसा नहीं है वहॉ जनमत संग्रह होगा। इस विषय पर जिन्ना ने कहा कि ''गांधी ने कीड़ों द्वारा खाया हुआ लुंज–पुंज और भूंसे जैसा पाकिस्तान दिया है।[22] जिन्ना ने जनमत संग्रह का विरोध किया तथा अंग्रेजों के रहते ही पाकिस्तान की मांग की जिसमें निर्धारित 6 प्रांतों को शामिल किया जाए।[23] इस समस्या के समाधान के लिए 1944 को सी0 राजगोपालाचार्य ने एक सुझाव दिया कि जिन जिलों में मुस्लमानों की संख्या ज्यादा है उनकी पहचान के लिए युद्ध के बाद एक आयोग बनाया जाऐ तथा उन जिलों की व्यस्क आबादी के जनमत संग्रह के आधार पर ये तय करें कि क्या वे पाकिस्तान चाहते है, ओर अगर विभाजन की स्थिति आती हे तो ये राज्य दोनो देशों में से किसी एक देश में मिलने का फैसला करें तथा इस योजना को आजादी मिलने तक स्थगित रखें।[24]

फरवरी 1944 में वायसराय वेवल ने कहा की भारत अपने भाग्य का फैसला करने का अधिकार मिल जाएगा लेकिन इसके लिए भारतीय नेताओं को सरकार को सहयोग करना पडेगा। वैवल ने साम्प्रदायिक समस्या के समाधान के लिए 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें कार्य कारिणी परिषद के गठन को लेकर लीग व कांग्रेस में मतभेद हो गया। और यह सम्मेलन भी असफल हो गया।[25]

द्वितिय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार आई। इसने भारतीयों के प्रति भिन्न नीति का अनुसरण किया। अनुदार दल की नीति थी ''विभाजन करों और राज करो'' जबकि श्रमिक दल की नीति ''विभाजन करो और चले जाओ'' की थी।[26]

1946 में आम चुनाव में दोनों दलों को 1937 के मुकाबले अधिक स्थान मिले। कांग्रेस को केन्द्रीय असेम्बली में 102 में से 57 सीटें। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन भी इन चुनावों में बेहतर था। मुस्लिम लीग को समस्त मुस्लिम स्थानों का 87 प्रतिशत मिले यानी 492 में से 4251।[27] अनिता इन्द्र सिंह का कथन है कि "लीग ने इन चुनाव परिणामों को पाकिस्तान के लिए एक जनमत संग्रह के रुप में पेश किया और इस विजय ने उसे निश्चित तौर पर भारतीय मुस्लानों का संवैधानिक प्रतिनिधि बना दिया।"[28] अब लीग तथा जिन्ना सर्वोच्च बन गए थे। इससे राष्ट्रीय एकता को धक्का लगा। अब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को मजबूती से उठाना आरम्भ कर दिया। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। उसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता की स्थिति करना तथा आंतरिम व्यवस्था करना था। उसने लीग तथा कांग्रेस के सामने तीन योजनाएँ रखी। (1) प्रांतों को जुट बनाना (2) संघ का स्वरूप (3) विधान निर्माता तंत्र की स्थापना। नेहरू तथा जिन्ना ने इस पर अपनी असहमती प्रकट की और नेहरू द्वारा आन्तरिग सरकार के तुरन्त गठन की बात कही गई।[29]

12 अगस्त 1946 को वायसराय के कहने पर नेहरू ने आन्तरिम सरकार बनाई। नेहरू ने जिन्ना को भी शामिल करने की कौशिश की लेकिन वो नहीं माने। जिन्ना ने 'सिधी कार्यवाही' दिवस मनाने का आदेश दिया। इससे देश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। कलकत्ता, नौंआखली तथा बिहार में साम्प्रदायिक दंगे फैल गए। इनमें हजारों लोग मारे गए तथा कैबिनेट मिशन असफल हो गया।[30] जिन्ना ने घोषणा की कि 2 दिसम्बर का दिन 'शोक दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर 1946 को नोंआरवली और टिपरा में भीषण उत्पात हुआ। यहॉ सांप्रदायिक दंगों ने भीषण रूप धारण कर लिया। इसमें सरकार, पुलिस और सेना ने लोगें की सहायता नहीं की। इन दंगों को देखते हुए विभाजन को जरूरी माना जाने लगा।[31]

20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा की कि सम्राट की सरकार की इच्छा है कि वह भारत का शासन भारत के नेताओं के हाथ में सौप दे। तथा 3 जून 1947 को भारत विभाजन तथा स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इसे माऊट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है।[32] पर गांधी जी ने भारत विभाजन का विरोध किया लेकिन मार्च–अप्रेल 1947 तक उनकी इच्छा के विरुद्ध अनेक कांग्रेसी नेताओं ने पाकिस्तान की मांग को मानने का मन बना लिया था। उनका तर्क था कि विभाजन के साथ स्वतन्त्रता साम्प्रदायिक हिंसा के मुकाबले बेहतर विकल्प हैं। अप्रैल 1947 को स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्णय को भी मंजूर कर लिया गया तथा शर्त रखी कि पंजाब व बंगाल के प्रांतों का विभाजन करके हिन्दू बहुमत वाले जिले हिन्दुस्तान के प्रांत बना दिए जाएँगे। विभाजन की घोषणा से दंगे और भड़क गए। हिन्दू तथा मुस्लमानों की हत्याएँ की गई। इन दंगों का सबसे ज्यादा निशाना सिख बने।[33]

साम्प्रदायिक दंगों के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने विभाजन और स्वतंत्रा की तिथि को आगे बढ़ा कर 15 अगस्त 1947 कर दिया। इस पर मांऊट बेटन ने कहा था कि ''15 अगस्त की तिथि निश्चित करके सरकार ने कोई जल्दी नहीं कर बल्कि उसे तो पहले ही भारत को छोड़ देना चाहिए था।[34] 4 से 16 जुलाई तक पार्लियामेंट में इंडियन दंडिपेंडिट विल पास किया गया और 18 जुलाई को शाही अनुमती प्राप्त होने पर इसे लागु किया गया। इसी एक्ट

के तहत 14–15 अगस्त 1947 की मध्य रात्री को भारत को विभाजन करके भारत तथा पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र बना दिए गए।[35]

इस प्रकार हम कह सकते है कि भारत को एक लम्बे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता मिली लेकिन साथ भारत का विभाजन हो गया। इस विभाजन का कारण साम्प्रदायिक राजनीति तथा अंग्रेजों की नीतिया थी। साम्प्रदायिक राजनीती का प्रारम्भ सर सैयद अहमद खां के द्वारा दिये गये भाषणो मे स्पष्ट दिखाई देता। बाद मे मुस्लिम लीग का भी साम्प्रदायिक राजनिती के विकाश मे विशेश योगदान रहा। हिन्दुवादी संगठनो जैसे हिन्दु महासभा ने भी हिन्दुत्व को आधार बना कर देश मे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया। अंग्रजो ने फुट डालो राज करो' की नीति के द्वरा देश मे साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। देश मे साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने मे कांग्रेस का भी योगदान रहा। अनेक मोको पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अहमियत नही दी या बहुत ज्यादा अहमियत दी जिसके कारण उसकी महत्वकांक्षा बडती गई, जो कि आगे चलकर देश के विभाजन का कारण बनी।

संदर्भ–सूची

1. ताराचन्द, भारतीय स्वतंत्रा आन्दोलन का इतिहास भाग – 3 पृ0 356।
2. वही, पृ0 393।
3. सुमित सरकार, आधुनिक भारत पृ0 156।
4. वही, पृ0 283।
5. ताराचन्द, भारतीय स्वतंत्रा आन्दोलन का इतिहास भाग – 4 पृ0 289।
6. वही, भाग – 4 पृ0 129।
7. अयोध्या सिंह, भारत का मुक्ति संग्राम पृ0 464।
8. ताराचन्द, पूर्व उद्धत भाग – 4 पृ0 131।
9. वही, पृ0 211।
10. वही, पृ0 238।
11. वही, पृ0 177।
12. वही, पृ0 275।
13. अयोध्या सिंह, पूर्व उद्धत पृ0 529।
14. ताराचन्द, पूर्व उद्धत भाग – 4 पृ0 310–311।
15. सुमित सरकार, आधुनिक भारत पृ0 398।
16. विपिन चन्द्र, भारत स्वतंत्रता संघर्ष पृ0 406।
17. डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, खंडित भारत, पृ0 11।
18. वही, वृ0 14–15।
19. ताराचन्द, पूर्व उद्धत भाग – 4 पृ0 400।
20. सुमित सरकार, पूर्व उद्धत पृ0 406।
21. वही, पृ0 436–37।
22. ताराचन्द, पूर्व उद्धत भागा–4 पृ0 478।
23. अयोध्या सिंह, पूर्व उद्धत पृ0 620।
24. वही, पृ0 621।
25. शेखर बंद्योपाध्याय, पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, पृ0 443।
26. ताराचन्द, पूर्व उद्धत भाग – 4 पृ0 531
27. सुमित सरकार, पूर्व उद्धत पृ0 536।
28. ताराचन्द, पूर्व उद्धत भाग – 4 पृ0 544।
29. अयोध्या सिंह, पूर्व उद्धत पृ0 654।
30. शेखर बंद्योपाध्याय, पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, पृ0 446।
31. सुमित सरकार, पूर्व उद्धत पृ0 457।
32. अयोध्या सिंह, पूर्व उद्धत पृ0 658।
33. ताराचन्द, पूर्व उद्धत पृ0 615।
34. विपीन चन्द्र, पूर्व उद्धत भाग–4 पृ0 476।
35. ताराचन्द, पूर्व उद्धत भाग–4 पृ0 443।

****